

संख्या-721/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3

प्रेषक,  
रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,  
अपर मुख्य सचिव,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
उ०प्र० शासन।

राजस्व अनुभाग-10  
2020

लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर,

विषय:- कोविड-19 को नियंत्रित करने हेतु एसडीआरएफ धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, चिकित्सा अनुभाग-5 उ०प्र० शासन के पत्र सं०-2228/पांच-2020, दिनांक 20.10.2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/ अनुरोध के क्रम में रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, पी०पी०ई० किट, एन-95 मास्क आदि क्रय किये जाने हेतु रू० 5000.00 लाख (रू० पचास करोड़ मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीआरएफ) से वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। वित्तीय हस्त पुस्तिका/ वित्तीय नियमों तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जायेगा।

(2) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भी प्रश्रुगत उपकरणों यथा - टेस्टिंग किट, पीपीई किट, कन्ज्यूमेबिल्स आदि को क्रय किए जाने के सम्बन्ध में मा० विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(3) उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग किये जाने के संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा इस संबंध में एसडीआरएफ से दिशा निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) जो भी उपकरण क्रय किये जायेंगे उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में शासन के सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। उपकरण इस प्रकार के न हों, जो किसी विशिष्ट एजेंसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से क्रय किये जा रहे हों। उपकरण सूक्ष्म, लघु

3 एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 एवं अन्य सहपठित तथा प्रोक्योरमेंट मैनुअल के अनुसार/जेम पोर्टल के अनुसार क्रय किये जायेंगे। उपकरण क्रय किये जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। क्रय किये गये उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 भी करायी जायेंगी।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जाये। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

Digitally signed by रेणुका  
कुमार  
Date: Tue Oct 27 12:04:46 IST  
2020  
Reason: Approved  
(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-723(1)/एक-10-2020-33(221)/2011 टीसी-3, तददिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- संयुक्त सचिव, चिकित्सा अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ

में।

- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- संबंधित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)  
विशेष सचिव।